<u>प्रेस नोट</u>

संविधान दिवस के अवसर पर समाहर्तालय सभागार, पंचायतों एवं विभागों में संविधान की प्रस्तावना का किया गया वाचन और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित दिलाई गई शपथ

दीव दिनांक :- 26/11/2020 :- आज दीव जिले में संविधान दिवस के अवसर पर समाहर्तालय सभागार में उप समाहर्ता, दीव ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया और अधिकारियों व कर्मचारियों को मौलिक कर्तव्यों से संबंधित शपथ दिलाई ।

इस अवसर पर उप समाहर्ता ने कहा कि 26 नवम्बर को आज ही के दिन 1949 में भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हूआ । आज का यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है । आज के दिन हम भारतवासी संविधान की उद्देशिका को पढ़ने और इसका अनुपालन करने की शपथ लेते हैं। आपसब से अपेक्षा है कि प्रस्तावना जो कि हमारे संविधान की मूल आत्मा है, उसमें दिए गए विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें । इस अवसर पर यह प्रण लिया गया कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करेंगे।

इस प्रकार दीव जिले के जिला पंचायत और चारों ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों ने भी सुबह 11:00 बजे संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली और संविधान में निहित समस्त मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने जनहित के कार्यों में संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों को अपनाने की शपथ ली ।

इस अवसर पर दीव जिले के अलग-अलग विभागों में भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया तथा अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा संकल्प लिया गया कि भारत के संवैधानिक मूल्यों का पालन करेंगे साथ ही संवैधानिक आदर्शों, देश की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखने का हरसंभव प्रयास करेंगे।